



प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक- अगस्त 30, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 292 वाहनों का चालान किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 40 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अभियान के दौरान धारा 34 पुलिस एक्ट मे 02 के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम व तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जनपद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में आज जनपद के समस्त थानों द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 31 अभियोग में 31 गिरफ्तार किए गए तथा इनके कब्जे से 140 लीटर कच्ची, 22 शीशी अवैध देशी व 253 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सिराजुद्दीन पुत्र अमालू नि0 फरमहिया थाना निचलौल के कब्जे से 10 अदद लाल कपडा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

एनडीपीएस अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मन्नू पुत्र घीदारा नि० वार्ड न० 17 राहुलनगर थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 ग्रा० स्मैक बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 177/22 धारा 8/18/21 एनडीपीएस अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रंजन पुत्र श्रीकृष्ण शास्त्री नि० मोहनापुर ढाला थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 550 ग्रा० गांजा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 210/22 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मनोज गुप्ता पुत्र जगदीश नि० शाहाबाद थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 650 ग्रा० गांजा व 2310रू०/ बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 187/22 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 21 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 29/30-08-2022 को विभिन्न अपराधों में कुल-74 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।